

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

File No— FP/UP/Others/44262/2020

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या — नहीं।
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है,
(हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और
किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न
करें।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी — हों।
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत
है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित —
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष
सिफारिशें। प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर
द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए
प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित है।

तिथि : 26.11.20

स्थान : mbd.

नाम व पदनाम
सरकारी मोहर


(निजमसिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 1431 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 26 / 11 / 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय :-

जनपद रामपुर में रामपुर -केमरी (ODR-20) मार्ग किमी० 04 चैनैज 3.808 की बांयी पटरी पर ग्राम-भमरौआ की खसरा सं०-31 पर मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली द्वारा रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.052 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/44262/2020

सन्दर्भ :-

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर की पत्र संख्या-406/14-1, दिनांक 14-08-2020, 2168/14-1, दिनांक 02-11-2020 एवं ऑनलाइन दिनांक 25.11.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना हैं कि प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर ने जनपद रामपुर में रामपुर -केमरी (ODR-20) मार्ग किमी० 04 चैनैज 3.808 की बांयी पटरी पर ग्राम-भमरौआ की खसरा सं०-31 पर मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली द्वारा रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.052 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव संस्तुति सहित 03 मूल प्रतियों में आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक- प्रस्ताव 03 मूल प्रतियों में।

भवदीय,

dr

(विजय सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 1431 / 14-1, उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक सामाजिक, वानिकी प्रभाग, रामपुर को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

dr

(विजय सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।